(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

रतनसिंह वगैरा बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 225 मुकदमा नम्बर 70 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/07/2021	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 RTA 1955 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा राजस्व प्रा. पत्र संख्या 3/2021 बमवाद रतनसिंह बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 09/14/2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। केस जोन अपील एवं रजिस्टर की गई। उक्त प्रकरण मे वकील अपीलेन्ट द्वारा स्थगन प्रार्थना. पत्र पर बहस सुने जाने का निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलेन्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील अपीलेन्ट की स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे अधिकारी, तहसीलदार भीनमाल द्वारा दिनांक 23/12/2020 द्वारा अपीलेन्ट (प्रार्थी) के पक्ष मे दिए गए निर्णय की स्थानगत भूमि के सरहद मौजा भीनमाल "C" के वर्तमान खसरा नम्बर 5994 व 5999 के नियमन हेतु सिफारिश की है दौरान बहस अभिभाषक अपीलेन्ट ने न्यायालय हाजा को निवेदन किया कि अपीलेन्ट (प्रार्थी) का उक्त वादग्रस्त आराजी पर लगातार 30 वर्षों से कब्जा व पुराने कब्जे होने की पुष्टि तहसीलदार, भीनमाल द्वारा दिनांक 23/12/2020 के निर्णय मे भी की है। अतः अपीलेन्ट भूमिहीन काश्तकार है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है अतः तत्सम आवंटन अधिकारी एवं तहसीलदार, भीनमाल अपीलेन्ट को कृषि भूमि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन नियम 1970 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर के विधि की प्रक्रिया का पालन करते हुए, उक्त वादग्रस्त आराजी का अधिकारी तहसीलदार, भीनमाल के विशेष सिफारिश अनुसार अपीलांट के पक्ष में आवंटन/नियमन की कार्यवाही जब भी आवंटन एवं नियमन की कार्यवाही सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा की जावे तब तक अपीलांट (वादी) को नियमानुसार आवंटन एवं नियमन की विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता तब तक अपीलांट के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे क्योंकि अपीलांट एक अकिंचन कृषक है और इनका जीविकोपार्जन का एक मात्र कार्य काश्त करना है अतः कानून के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण भी रखा जाना न्यायोचित है यदि विधि के अनुसार अपीलांट को सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा नियमों के अन्तर्गत आवंटन एवं नियमन किया जाता है तो इन्हें एक न्यायिक राहत प्राप्त होगी। उक्त आदेश की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल व तहसीलदार, भीनमाल को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प-जालोर	